झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–916 वर्ष 2017

भानु देवी, पत्नी–स्वर्गीय चरखा हानरी, निवासी ग्रम एवं डाकघर–राजगंज, थाना–कतरास, जिला–धनबाद। .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संक्षेप में झामाडा) अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से जिनका कार्यालय झामाडा भवन, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।
2. लेखा अधिकारी, झामाडा, झामाडा भवन, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता–झामाडा के लिएः– मेसर्स भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्तागण

03 / 28.02.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का पति झामाडा का एक स्थायी कर्मचारी था और कटरा सर्कल, धनबाद में सफाई कर्मचारी के रूप में तैनात था और 09 दिसंबर 2009 को सेवाकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसके स्वर्गीय पति की मृत्यु और सेवानिवृत्ति के लाभ जैसे, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा, अंतरिम सहायता, चिकित्सा भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता, महंगाई भत्ता, 50 प्रतिशत डीए का बकाया, क्षेत्रीय भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, छठे वेतन पुनरीक्षण का बकाया, एसीपी / एमएसीपी का बकाया,

वेतन का बकाया और ब्याज के साथ अन्य स्वीकृत सेवा देय, याची के दिवंगत पति को भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि उसने इस रिट याचिका के लिए अनुलग्नक–2 द्वारा अभ्यावेदन किया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–झामाडा के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, झामाडा से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के कुछ मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, झामाडा, धनबाद के समक्ष सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन देने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, झामाडा विधि के अनुसार इस पर विचार करेगा और याचिकाकर्ता के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा जिसे याचिकाकर्ता को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह अपने दिवंगत पति की मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा लाभों के का कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया

राशि को पाने का हकदार हैं, तो प्रतिवादी–झामाडा द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ इनका संवितरण किया जाएगा, जो झामाडा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)